Dr. M. M. Das : Only the other day I replied that we have to bring down our targets in the Second Five Year Plan and I said that only one-fourth of the total primary schools in the country will be converted into basic schools during the next Five Year Plan.

Statues

*2093. **Shri S. C. Samanta :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to starred question No. 2362 on the 18th April, 1955 and state the decision taken by Government regarding the statues of foreign rulers and others installed in public places?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Education (Dr. M. M. Das): The matter is still under consideration.

Shri S. C. Samanta : Last time we were informed that the opinions of the State Governments have been received. May I know whether those opinions are conflicting and if so, how the decision will be taken ?

Dr. M. M. Das: We do not say that they are conflicting but they are at variance with each other. Some of the State Governments are in favour of removal, some are in favour of partial removal and some say that they will be guided by the policy of the Central Government.

Shri S. C. Samanta : May I know whether the eminent historians of India have been consulted in the matter?

Dr. M. M. Das : We have not consulted the eminent historians of this land about this question, but, if my memory does not betray me, a few months back an eminent historian Sir Jodunath Sirkar published a letter in some newspaper in which he said that these statues etc. belong to history and that they should be preserved as historical monuments.

Mr. Speaker : Next question.

Shri Raghavachari : I want to put one question, Sir.

Mr. Speaker : I am going to the next question now.

भूतपूर्व सैनिकों को पैन्शनें

*२०९४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सनिकों से भारत सरकार को इस आशय की पिटीशनें प्राप्त हुई हैं कि नये पेन्शन कोड का लाभ उन्हें भी प्रदान किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया गया है; और

(ग) यदि सब भूतपूर्व सैनिकों को बढ़ी हुई दरों पर पेन्शनें दी जायें तो सालाना कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) जो परमानेन्ट रैंगुलर कमीशन्ड अफ़सर और अफ़सरों से निचले पदों पर काम करने वाले सैनिक २७ अक्टूबर १९४७ तथा २१ मई, १९५३ के बीच में डिसएबलमेन्ट या मृत्यु के कारण लिस्ट से निकाले गये हैं, उनकी डिसएबिलिटी पेन्शन, फैमिली पेन्शन और भत्तों के लिये नये पेन्शन कोड के नियम तथा दर लागू कर दिये गये हैं ।

जो अफसरों से निचले पदों पर काम करने वाले सैनिक २६ जनवरी, १९५० तथा ३१ मई, १९५३ के बीच में साधारण पेन्शन, स्पेशल पेन्शन या मस्टरिंग आउट पेन्शन देकर सेना से निकाले गये हैं, उनकी पेन्शनों में कुछ ऐड हाक बढ़ती की गई है ।

(ग) यदि सभी फ़ौजी पेन्शनरों पर नया पेन्शन कोड लागू कर दिया जाय, तो कितना सालाना फ़ालतू खर्च होगा, इसका अनुमान नहीं लगाया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि सभी वर्गों के भूतपूर्व सैनिक पेंशनरों को न्यू पैंशन कोड की सुविधा नहीं दी जा रही है । क्या इसका यह अर्थ लगाया जाय कि उन्हें इसलिये दंड दिया जा रहा है कि उन्होंने पहले अंग्रेजों की सेवा की थी ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर, यह सवाल नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने इस सुझाव पर भी विचार किया है कि यदि सब पैंशनरों को यह सुविधा नहीं दी